

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-29/12/2016

संख्या-1/श्रम वि०ई०-8-80/15 (खंड 1) श्र०सं० 3484 / विभागीय अधिसूचना सं० 232-239, दिनांक 26.12.15 द्वारा बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है एवं प्रभारी बनाया गया है। उक्त अधिसूचना में भूलवश तिथि 26.12.16 के बदले 26.12.15 अंकित हो गयी है।

2. उक्त अधिसूचना में अंकित "26.12.15" के बदले "26.12.16" पढ़ा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Murphy
29.12.16
(भुवनेश्वर मिश्रा)
सरकार के अपर सचिव

संख्या-1/श्रम वि०ई०-8-80/15 (खंड 1) श्र०सं० 3484 / पटना, दिनांक-29/12/2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सभी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Murphy
29.12.16
सरकार के अपर सचिव।

